न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट म.प्र.

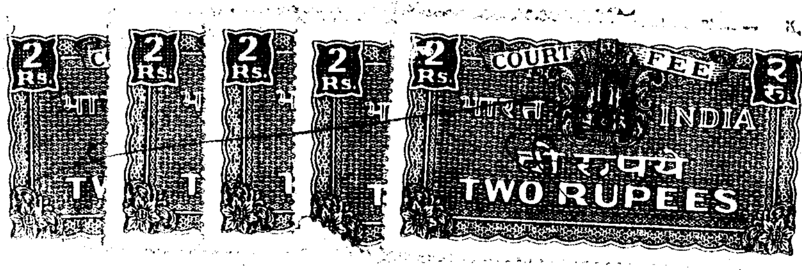

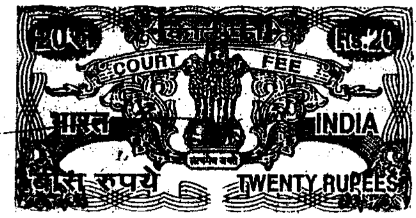

Rs 30/-

जयनंन्दन पटेल तनय चित्रसेन पटेल निवासी ग्राम गौरी तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. R 5436-II/16 ---- निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीरामणि पटेल तनय इन्द्रलाल पटेल निवासी ग्राम गौरी तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ---- गैर निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री जितेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत | 28-9-16

... राजस्व मण्डल, ... ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्र.क्र. 339/12/15-16 आदेश दिनांक 30.07.16 एवं नक्शा तर्मीम दिनांक 20.03.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है:-

---x---

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन की कोई भी सूचना निगरानीकर्ता को नहीं दीगई निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा दूषित प्रक्रिया अपनाकर अवैधानिक तरीके से मौके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5436–दो/16 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 33/ए–12/15–16 में पारित आदेष दिनांक 30–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10–7–16 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया जिसपर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। आवेदक द्वारा सूचना लेने से इंकार किया जाना लेख है। स्थल पंचनामा की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिसपर आवेदक जयनन्नदन मौके वक्त सीमांकन उपस्थित रहे। हस्ताक्षर करने से इंकार, करने संबंधी टीप अंकित है। इसके पश्चात सीमांकन आदेश की पुष्टि के समय किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 30–7–16 को सीमांकन की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई त्रुटि	

परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक उक्त सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तो स्वयं की भूमि का भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य